अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

124/225 कानी V/s राज० सरकार

2024/196

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री | श्री नारायण चौधरी | श्री GA.

कानी बनाम सरकार

18.9.24 पत्रावली पेश हुई। स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात अपीलांट के प्रथम सेटलमेंट के समय से ही पूर्वजों के समय से काबिज काश्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। उक्त विवादित भूमि के बाबत् उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत जाकर निर्णय पारित कर दिया, जिसकी आड में रेस्पोडेंट जबरन अपीलांट/प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल करने तथा विवादित आराजीयात के मौके एवं रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाने पर आमादा है। अतः न्यायालय हाजा से निवेदन है कि उक्त विवादित आराजीयात की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेश दिया जावें।

दौराने जवाब/बहस विद्वान राजकीय अधिवक्ता कथन किया कि प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की है, जिसका अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय में किया जाना है। अपील के साथ अपीलांट के पक्ष का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है तथा कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तथा तलबी हेतु नियत है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर खारिज की जावें।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नहीं मानते हुए प्रार्थी का उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय में अभी अप्रार्थीगण को सुना जाना बाकी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा लम्बित चला आ रहा है। इस परिपेक्ष में प्रस्तुत अपील धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम ही मूलतः अवधारणीय नहीं है क्योंकि दिनांक 28.08.2024 का आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है फिर भी न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर दो माह में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर दो माह में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अपील टी.ए. संख्या/96 सन् 2024 जिला दूदू

2024/196

1. श्रीमती कानी पत्नी श्री रामरतन जाति जाट,
2. रामेश्वर पुत्र श्री किशना जाति जाट,
3. रामजीवण पुत्र श्री माधू जाजि जाट,
4. श्रीमती तीजा पुत्री श्री लादू जाति जाट,
5. श्रीमती सोनी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट,

समस्त निवासीगण नयागांव तहसील व जिला दूदू।

.... अपीलान्ट्स

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू जिला दूदू।
2. राजस्थान सरकार जरिय जिला कलेक्टर, दूदू।

.... रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी दूदू जो प्रार्थना पत्र संख्या 85/2024 दिनांक 28.08.2024 बउनवानी कानी देवी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार।

मान्यवर,

अपीलान्ट्स अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करता है :-

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध रेस्पोडेन्ट यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात् वाकै ग्राम नयागांव तहसील दूदू में स्थित जमाबंदी सम्वतः 2074 से 2077 की आराजी खाता सं0 1 के खसरा नं0 100 रकबा 0.7000 है0, खसरा नं0 101 रकबा 0.1500 है0, खसरा नं0 116 रकबा 0.4000 है0, खसरा नं0 628 रकबा 0.2000 है0, खसरा नं0 637 रकबा 0.1000 है0, खसरा नं0 639 रकबा 0.0500 है0, खसरा नं0 640 रकबा 0.0600 है0, खसरा नं0 641 रकबा 0.0500 है0, खसरा नं0 78 रकबा 0.01500 है0, खसरा नं0 79 रकबा 0.3000 है0, खसरा नं0 80 रकबा 0.3000 है0, खसरा नं0 81 रकबा 0.3000 है0, खसरा नं0 82 रकबा 0.7000 है0, खसरा नं0 83 रकबा